



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम विधान सभा - पंचादश सत्र

(दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 से 04 जनवरी 2023 तक)

सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	35 दिन
बैठकों की संख्या	05
प्रश्नों पर चर्चा	02 घंटे 30 मिनट
द्वितीय अनुपूरक	22 मिनट
शासकीय विधि विषयक कार्य	07 घंटे 06 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	13 घंटे 02 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	715
तारांकित प्रश्न	361
अतारांकित प्रश्न	354
ग्राह्य तारांकित	333*
ग्राह्य अतारांकित	321
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	654
सदन में उत्तरित	15

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	05
सदन में पारित	05 (एक विनियोग विधेयक सहित)

नियम 139 की सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	03
ग्राह्य	02

*कुल 03 तारांकित ब्रेकेट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है ।

विभागीय टीप	01
-------------	----

स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	47
अग्राह्य	47

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	182
ग्राह्य	28
अग्राह्य	150
शून्यकाल में परिवर्तित	04
व्यपगत	26

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	33
ध्यानाकर्षण से परिवर्तित	04
ग्राह्य	17
अग्राह्य	16

अशासकीय विधेयक

विचारार्थ एवं पारण हेतु प्राप्त	01
---------------------------------	----

अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	07
ग्राह्य	04
अग्राह्य	03

शासकीय संकल्प

प्राप्त सूचना	01
सदन में पारित	01

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	81
ग्राह्य	33
अग्राह्य	48

सदन में प्रस्तुत	02
व्यपगत	11

अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	04
पटल पर रखे गये	04

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन विचार तथा पारण

राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	11
पटल पर रखे गये	11

विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. कार्यमंत्रणा समिति	02
2. लोक लेखा समिति	11

राज्य के बजट से संबंधित जानकारियों का पटल पर रखा जाना

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-1)
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे खण्ड-एक एवं दो तथा विनियोग लेखे।

पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा

01 दिसम्बर, 2022 से 04 जनवरी, 2023 तक सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के द्वारा पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में पुस्तकालय संदर्भ साहित्य का अवलोकन / अध्ययन किया गया। माननीय सदस्यों को कुल 207 पृष्ठ का संदर्भ उपलब्ध कराया गया।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट	छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट में 01 दिसम्बर, 2022 से 04 जनवरी, 2023 तक सत्रावधि के दौरान वेबसाईट पर सत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई ।
छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रवेश	प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा के 235 प्रवेश पत्र, प्रतिष्ठित दीर्घा के 405 एवं दर्शक दीर्घा के 605 प्रवेश पत्र जारी किये गये ।